

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025

दिनांक 11/02/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 10.02.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 18,000 रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। ’

दिनांक 10.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 903/2017 धारा 498A,304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. विजयमल बिन्द पुत्र राजेन्द्र बिन्द नि0 सौरी थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा 304B भादवि में 08 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498A भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा ¾ डीपी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 15000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर